

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 491]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर 2022—भाद्र 24, शक 1944

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2022

क्रमांक - एफ 10-07/2022/1/4- राज्य शासन एतदद्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-03/2022/1/4 दिनांक 07 जून 2022 की कंडिका 6 (1) के अनुक्रम में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु) वर्ष 2021-22 के लिए निम्नानुसार विभागों की योजनाओं के KPIs निर्धारित किए जाते हैं:-

1. विभाग का नाम:- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

योजना का नाम:- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पी.एम.ए.वाय.(रुरल)

1. आवास निर्माण हेतु स्वीकृतियां जारी करना:- 25 अंक  
(यह जानकारी आवास सॉफ्ट पोर्टल पर उपलब्ध है।)
2. आवास निर्माण हेतु किश्ते जारी करना:- 35 अंक  
(यह जानकारी आवास सॉफ्ट पोर्टल पर उपलब्ध है।)
3. आवास पूर्णता:- 40 अंक  
(यह जानकारी आवास सॉफ्ट पोर्टल पर उपलब्ध है।)

2. विभाग का नाम:- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

योजना का नाम:- म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एम.पी.एस.आर.एल.एम.)

	KPI	Measurement	Weightage
1.	House Hold mobilization into SHGs	% of House Holds mobilized into Self Help Groups against annual target.	40 No.
2.	Bank Linkage	% of SHGs accessed Bank loan against the eligible SHGs.	40 No.
3.	Coverage of Mahila Kisan	% of Mahila Kisan covered under Agro-ecological practices against annual target.	10 No.
4.	Cluster based Activities	No. of Beneficiaries having monthly income of Rs. 10,000/- or more through cluster based activities in Farm and Non-farm Sector.	10 No.

3. विभाग का नाम:- नगरीय विकास एवं आवास विभाग

योजना का नाम:- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पी.एम.ए.वाय. (अर्बन)

1. BLC एवं AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत आवासों के विरुद्ध एमआईएस अटैचमेंट

(Marks 1)

a. As per PMAY MIS Portal

2. BLC घटक अंतर्गत स्वीकृत आवासों के विरुद्ध निकाय द्वारा हितग्राहियों को अंतरित प्रथम किश्त

(Marks 2)

a. As per Entry in PMAY MIS under New Provision for entry Beneficiary-wise Fund Released

3. BLC एवं AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत आवासों के विरुद्ध प्रारंभ आवासों की संख्या

(Marks 3)

a. As per Geo-Tagging of houses under BLC vertical.

b. As per MPR Entry of Online MPR in PMAY MIS under AHP vertical.

4. BLC एवं AHP घटक अंतर्गत मार्च-2021 तक स्वीकृत आवासों के विरुद्ध पूर्ण आवासों की संख्या

(Marks 4)

a. As per Geo-Tagging of houses under BLC vertical.

b. As per MPR Entry of Online MPR in PMAY MIS under AHP vertical.

*In Indore, Bhopal & Sarni where projects are not approved under BLC vertical, 2 marks of 2<sup>nd</sup> KPI will be proportionately provided as per marking of other 3 KPIs.*

4. विभाग का नाम:- नगरीय विकास एवं आवास विभाग

योजना का नाम:- पीएम-स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पी.एम. स्वनिधि)

KPI 1. Loan cases disbursed [from the beging of the program 1 july 2020 to March 2022] for stage 1 against target 2.5% of urban population of 2011 to ULBs.

(Marks 4)

उल्लेखित डेटा पीएम-स्वनिधि पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है।

KPI 2. Loan cases disbursed [from the beging of the program 1 july 2020 to March 2022] for stage 2 against target (1.25% of urban population of 2011) to ULBs.

(Marks 4)

उल्लेखित डेटा पीएम-स्वनिधि पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है।

KPI 3. Digitally active street vendors against total disbursed loan cases till 31.03.2022

(Marks 2)

उल्लेखित डेटा पीएम-स्वनिधि पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है।

- The score will be normalized with best performance being awarded 10/10

5. विभाग का नाम:- लोक सेवा प्रबंधन विभाग

योजना का नाम:- CM Helpline and Public Service Guarantee Act

सी.एम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत जिला रैंकिंग

1. मासिक सी.एम हेल्पलाइन रैंकिंग (औसत) – 60% weightage

1.1 जिलों का प्रत्येक माह (अप्रैल 2021 से मार्च 2022) के लिए सी.एम.हेल्पलाइन स्कोर प्राप्त किया गया है।

1.2 मासिक स्कोर हेतु KPIs निमानुसार हैं:

- **संतुष्टि के साथ बंद शिकायतें:** शिकायतों को नागरिकों की संतुष्टि के साथ बंद किया जाना (60%)
- **नॉट अटेंडेड शिकायतें:** शिकायतें बिना निराकरण उच्च स्तर पर प्रेषित होना (10%) [10\*(1- Not Attended complaints/Total Complaints)]
- **निम्नगुणवत्ता से बंद शिकायतें:** ऐसी शिकायतें जिनमें कार्यवाही प्रचलित है या भविष्यात्मक निराकरण देकर शिकायतों को बंद किया जाना (10%) [10\*(1-Poor Disposal/ Force Close Complaints)]
- **50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतें (20%)** [20\* (1-Pending over 50 days/ Total Pending Complaints)]

	YB	कुल शिकायतें	संतुष्टि के साथ बंद शिकायतें(60%)	नॉट अटेंडेड शिकायतें(10%)	निम्नगुणवत्ता से बंद शिकायतें(10%)	50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतें(20%)	YB	YB	YB	YB
1	छिन्दवाड़ा	5861.00	2946	999	271	1390	63.07			C
2	भोपाल	14708.00	2965	991	71	1366	62.93			C
3	बडवानी	1213.00	2839	995	91	1257	62.82			D
4	जबलपुर	9766.00	2473	995	14	1570	56.51			D
5	खारियर	13118.00	2464	997	56	1458	56.07			D
6	छिन्डोरी	2423.00	2751	990	14	1247	56.01			D
7	सीहोर	5010.00	2570	993	38	1371	56.72			D
8	खरगोन	4458.00	2705	998	68	1275	56.66			D
9	इन्दौर	13697.00	2474	995	66	1432	56.47			C
10	उज्जैन	8785.00	2421	990	67	1467	56.44			D

1.3 मासिक स्कोर प्राप्त करने के पश्चात 12 माह का औसत स्कोर प्राप्त किया गया है।

1.4 औसत स्कोर प्राप्त करने के पश्चात 60% वेटेज दिया गया है।

## 2. लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत सेवा प्रदाय – 15% weightage

2.1 माह 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए जिलों द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण अनुसार स्कोर प्राप्त किया गया है।

### 2.2 आवेदन निराकारण –

- जिन आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण किया गया है उन्हें ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों से भाग दिया गया है, प्राप्त संख्या को 100 प्रतिशत से गुणा किया गया है।
- जिन आवेदनों को समय-सीमा के पश्चात निराकरण किया गया है उन्हें ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों से भाग दिया गया है, प्राप्त संख्या को -40 प्रतिशत से गुणा किया गया है।
- जो आवेदन समय-सीमा बाह्य लंबित हैं, उन्हें ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों से भाग दिया गया है, प्राप्त संख्या को -60 प्रतिशत से गुणा किया गया है।

क्र.	पैरामीटर	माप
1	आवेदन समय-सीमा में निराकारण का स्कोर	(समय-सीमा में निराकरण/प्राप्त आवेदन) *100%
2	आवेदन समय-सीमा के पश्चात निराकारण का स्कोर	(समय-सीमा के पश्चात निराकरण/प्राप्त आवेदन) *-40%
3	आवेदन समय-सीमा बाह्य लंबित का स्कोर	(समय-सीमा बाह्य लंबित/प्राप्त आवेदन) *-60%

2.3 उपरोक्त तीन बिन्दुओं का योग कर जिले को आवेदन निराकरण के कुल अंक दिए गए हैं।

2.4 निराकरण स्कोर को 15% वेटेज दिया गया है।

## 3. समाधान एक दिवस अंतर्गत सेवा प्रदाय – 15% weightage

3.1 माह 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए जिलों द्वारा समाधान एक दिवस अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण अनुसार स्कोर प्राप्त किया गया है।

### 3.2 आवेदन निराकारण –

- जिन आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण किया गया है उन्हें ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों से भाग दिया गया है, प्राप्त संख्या को 100 प्रतिशत से गुणा किया गया है।
- जिन आवेदनों को समय-सीमा के पश्चात निराकरण किया गया है उन्हें ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों से भाग दिया गया है, प्राप्त संख्या को -40 प्रतिशत से गुणा किया गया है।
- जो आवेदन समय-सीमा बाह्य लंबित हैं, उन्हें ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों से भाग दिया गया है, प्राप्त संख्या को -60 प्रतिशत से गुणा किया गया है।

क्र.	पैरामीटर	माप
1	आवेदन समय-सीमा में निराकारण का स्कोर	(समय-सीमा में निराकरण/प्राप्त आवेदन) *100%
2	आवेदन समय-सीमा के पश्चात निराकारण का स्कोर	(समय-सीमा के पश्चात निराकरण/प्राप्त आवेदन) *-40%
3	आवेदन समय-सीमा बाह्य लंबित का स्कोर	(समय-सीमा बाह्य लंबित/प्राप्त आवेदन) *-60%

- 3.3 उपरोक्त तीन बिन्दुओं का योग कर जिले को आवेदन निराकरण के कुल अंक दिए गए हैं।
- 3.4 निराकरण स्कोर को 15% वेटेज दिया गया है।

#### 4. प्रथम अपील का निराकरण - 10% Weightage

- 4.1 माह 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए जिलों द्वारा प्राप्त प्रथम अपील एवं उसके निराकरण के आधार पर स्कोर प्राप्त किया गया है।
- 4.2 यदि किसी जिले द्वारा कोई अपील प्राप्त नहीं की गयी है तो उस जिले को 100 प्रतिशत दिए गए हैं।
- 4.3 यदि किसी जिले द्वारा अपील प्राप्त की गयी है तो उसका स्कोर निम्नानुसार calculate किया गया है -
- जिन अपील का समय-समय में निराकरण किया गया है उन्हें कुल प्राप्त अपील से भाग दिया गया है, प्राप्त संख्या को 100 प्रतिशत से गुणा किया गया है।
  - जिन अपील को समय-सीमा के पश्चात निराकरण किया गया है उन्हें कुल प्राप्त अपील से भाग दिया गया है, प्राप्त संख्या को -50 प्रतिशत से गुणा किया गया है।

क्र.	पैरामीटर	माप
1	अपील समय-समय में निराकरण का स्कोर	(समय-समय में निराकृत अपील / कुल प्राप्त अपील) *100%
2	समय-सीमा के पश्चात अपील निराकरण का स्कोर	(समय-समय के पश्चात निराकृत अपील / कुल प्राप्त अपील) *-50%

- 4.4 अपील निराकरण स्कोर को 10% वेटेज दिया गया है।

#### कुल स्कोर की गणना

कुल स्कोर = सी.एम.हेल्पलाइन स्कोर \* (60%) + लोक सेवा गारंटी अधिनियम स्कोर \*(15%)+ समाधान एक दिन स्कोर \*(15%) + प्रथम अपील स्कोर \*(10%)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीनिवास शर्मा, सचिव.